न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 13 / 2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

कॉर्पोरेशन बैंक, शाखा सीकर राजस्थान।

...प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मैं. शेखावाटी बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड़
   पता:– 32ए, 33ए, फर्स्ट फ्लोर, गोविन्दम् मार्के, सिल्वर जुवली रोड़, कल्याण सर्किल के पास, सीकर राजस्थान। — ऋणी / बंधनकर्त्ता
2. गजानन्द बिजारणियां पुत्र लाला राम बिजारणियां (निदेशक) — सह ऋणी
   पता:– गांव कदमा का बास, पो. ऑफिस काशी का बास, जिला सीकर, राजस्थान।
3. राजेन्द्र बिजारणियां पत्नी गजानन्द बिजारणियां (निदेशक) — सह ऋणी
   पता:– गांव कदमा का बास, पो. ऑफिस काशी का बास, जिला सीकर, राजस्थान।
4. कौशल्या देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार पुरोहित — जमानती
   पता:– वार्ड नम्बर 27, शुभम कॉलोनी शांति नगर सीकर, राजस्थान।
5. शुभम चौधरी पुत्र भंवर लाल चौधरी — जमानती
   पता:– फ्लैट नम्बर ए–23 एलआईसी फ्लैट सेक्टर–3, विधाधर नगर, जयपुर।

...अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से श्री **भागचन्द केपिटल सर्विसर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैं. शेखावाटी बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड, गजानन्द बिजारणियां, राजेन्द्र बिजारणियां, कौशल्या देवी, शुभम चौधरी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में निम्न सम्पत्तिः–

(1) EMG of commercial land and building at ward no. 17, Dvipura Jiapur Raod Opp Krishi Upaj Mandi, Jiapur Raod, Sikar, Rajasthan measuring 124.15 Sq. Yards in the name of Shri Gajanand Bijarnia Bounded by- North Plot Mr. Jhabarmal Fageria, South Plot and House Mr. Mahajan, East Plot Mr. Gopal Sharma, West Raod.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(2) EMG of land and building situated at ward no. 17, Subhash Colony, Shanti Nagar, Opp. Bus Depot Sikar Rajasthan Measuring about 1854.99 Sq. ft in the name of Ms. Kaushalya Devi Bounded by - North Plot No. A-5, South Road, East Plot No. 11, West Plot No. 13.

(3) EMG of land and building at Plot No. 12, Ward No. 30, Samarthpura, Piprali Road, Sikar Rajssthan Measuring about 2279.97 Sq. ft in the name of Mr. Shubham Choudhary Bounded by - North Plot No. 21, South Road, East Plot No. 11, West Plot No. 13.

(4) Hypothecaton of 190 LG Air Conditioners (152 of LSA5CR Model And 38 LSA6UR2.)

(5) Hypothecaton of 325 LG Air Conditioners.

(6) Hypothecaton of 3DG Sets of 500 KVA Kirloskar Gensets.

को बंधक रखकर 189.50 लाख/--रूपये (अक्षरे रूपये **एक करोड़ नवासी लाख पच्चास हजार** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.11.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर अभिकथन किया गया कि डीआरटी द्वारा 16.02.2018 तक कब्जा नहीं लेने का आदेश दिया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

सत्यमेव जयते

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 01.11.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मैं. शेखावाटी बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड, गजानन्द बिजारणियां, राजेन्द्र बिजारणियां, कौशल्या देवी, शुभम चौधरी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक निम्न सम्पत्तिः–

(1) **EMG of commercial land and building at ward no. 17, Dvipura Jiapur Raod Opp Krishi Upaj Mandi, Jiapur Raod, Sikar, Rajasthan measuring 124.15 Sq. Yards in the name of Shri Gajanand Bijarnia Bounded by- North Plot Mr. Jhabarmal Fageria, South Plot and House Mr. Mahajan, East Plot Mr. Gopal Sharma, West Raod.**

(2) EMG of land and building situated at ward no. 17, Subhash Colony, Shanti Nagar, Opp. Bus Depot Sikar Rajasthan Measuring about 1854.99 Sq. ft in the name of Ms. Kaushalya Devi Bounded by - North Plot No. A-5, South Road, East Plot No. 11, West Plot No. 13.

(3) EMG of land and building at Plot No. 12, Ward No. 30, Samarthpura, Piprali Road, Sikar Rajssthan Measuring about 2279.97 Sq. ft in the name of Mr. Shubham Choudhary Bounded by - North Plot No. 21, South Road, East Plot No. 11, West Plot No. 13.

(4) Hypothecaton of 190 LG Air Conditioners (152 of LSA5CR Model And 38 LSA6UR2.)

(5) Hypothecaton of 325 LG Air Conditioners.

(6) Hypothecaton of 3DG Sets of 500 KVA Kirloskar Gensets.

का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 13 **मार्च, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner